



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 ई0 (आश्विन 19, 1947 शक सम्बत) [संख्या-41

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	823-838	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	329-330	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	397-402	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग—1

अधिसूचना

नियुक्ति

29 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या—10 नो—के/XXXVI-A-1/2025-04 नो—के/2011—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री ललित मोहन आर्या, अधिवक्ता को दिनांक 29-09-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री ललित मोहन आर्या का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 10-नो—के No-K/XXXVI-A-1/2025-04 No.-K/2011 Dated- September 29, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

September 29, 2025

No. 10 नो—के No-K/XXXVI-A-1/2025-04 No-K/2011--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Lalit Mohan Arya, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 29-09-2025 for **Tehsil Ranikhet, District Almora** in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Lalit Mohan Arya** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRASHANT JOSHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

खेलकूद अनुभाग**अधिसूचना**

04 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या 792 / VI-3 / 2025-30(26) / 2021—राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौलापार, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड में “उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय” नामक विश्वविद्यालय स्थापित एवं संचालित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अमित सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव।

In pursuance of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India the Governor, is pleased to order the publication of Notification No. 792/VI-3/2025-30(26)/2021 Dehradun Dated- September 04, 2025 for the general information.

NOTIFICATION

September 04, 2025.

No. 792/VI-3/2025-30(26)/2021--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and section 4 of the Uttarakhand State Sports University Act, 2025 the Governor, is pleased to allow to establish and operate an University named ‘**The Uttarakhand State Sports University**’ at Gaulapar, Haldwani, District-Nainital in Uttarakhand.

By Order,
AMIT SINHA,
Special Principal Secretary.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2**प्रोन्नति/विज्ञप्ति**

14 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-I / 313788 / 25 / XXVIII-2-2025/E-file-Comp No-38604/2022—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत फार्मासिस्ट संवर्ग में मुख्य फार्मेसी अधिकारी (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100—177500, पे-मैट्रिक्स लेबल-10 पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त प्रमुख/जिला फार्मेसी अधिकारी (प्रभारी अधिकारी फार्मेसी) वेतनमान रू0 67700—208700 पे-मैट्रिक्स लेबल-11 के रिक्त पदों पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र.स. कार्मिक का नाम	क्र.स. कार्मिक का नाम
1. श्री नवीन चन्द्र जोशी	10. श्री के०सी० नैलवाल
2. श्री आर०एस० मनराल	11. श्री टी०सी० पाण्डे
3. श्री पी०के० जोशी	12. श्री सतेन्द्र सिंह भण्डारी
4. श्री जीवन सिंह रौतेला	13. श्री सुभाष सेमवाल
5. श्री बी०डी० शाह	14. श्री तुमन सिंह
6. श्री आर०सी० खुल्बे	15. श्री विनोद सिंह नेगी
7. श्री निर्मल कुमार	16. श्री एम०एस० बिष्ट
8. श्री एस०पी० चमोली	17. श्री हीरा सिंह परिहार
9. श्री दिनेश प्रसाद पुरोहित	

2— उक्त पदोन्नत अधिकारियों को प्रमुख/जिला फार्मसी अधिकारी (प्रभारी अधिकारी फार्मसी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3— यह आदेश मा०राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

4— उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा० आर० राजेश कुमार,
सचिव।

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

28 जुलाई, 2025 ई०

पत्रांक-2142/तीन-110/च०सं०/2025-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-472/XVIII(3)/2025-03 (07)/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना मंगलौर, तहसील लक्सर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	रजबपुर	लक्सर	मंगलौर	हरिद्वार

विज्ञप्ति

06 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक— 68/तीन-116/च0सं0/2025—उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-731/XVIII(3)/2025-03 (02)/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद ऊधमसिंहनगर, परगना व तहसील काशीपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	वेतवाला	काशीपुर	काशीपुर	ऊधमसिंहनगर

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या 1243/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान लेवल-13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3— उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4—संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या 1244/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती शुचि अग्रवाल, को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान 78800-209200 (पे लेवल-12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती शुचि अग्रवाल, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4-उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या 1245/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रंजन क्वीरा, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान-67700-208700 (पे लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रंजन क्वीरा, अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4-अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या 1246/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री खिलाप सिंह बिष्ट, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री खिलाप सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री खिलाप सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को उच्च शिक्षा अनुभाग-01 में तैनात किया जाता है।

5- श्री खिलाप सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव।

सू0 प्रौ0, सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0-03

विमुक्त (Denotify)

23 मई, 2025 ई0

संख्या-I / 300203 / E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21—उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग की 16 अधिसूचित सेवाओं को अधिसूचना संख्या 837/XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 से विमुक्त (Denotify) किया जाता है अधिसूचना संख्या 837/XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अधिसूचना

23 मई, 2025 ई0

संख्या-I / 300204 / E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21—उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है :-

1. तकनीकी शिक्षा विभाग:-

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	अनंतिम अंकतालिका जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	20 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	जमानत/बंधक राशि (Caution money) की वापसी।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	चरित्र प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
5	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए डिप्लोमा प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	30 दिवस	उप सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
6	पॉलिटेक्निक संस्थान के उत्तीर्ण छात्रों के लिये अनंतिम अंकपत्र (Marksheet) जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	20 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए जाँच/संवीक्षा (Scrutiny) के परिणाम की धोषणा।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
8	विशेष बैक पेपर परीक्षा (Examination) के परिणाम की धोषणा।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	40 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
9	अंकपत्र में त्रुटि सुधार (अंको को छोड़कर)	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
10	अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करना। (डिप्लोमा)	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
11	डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करना।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
12	डुप्लीकेट डिप्लोमा प्रमाण-पत्र जारी करना।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
13	डिप्लोमा प्रमाण-पत्र में त्रुटि सुधार करना।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
14	उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	45 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
15	प्रतिलेख प्रमाण-पत्र	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
16	माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	30 दिवस	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
17	अंकतालिका उपलब्ध कराना	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस (समय अवधि की गणना संस्थान को परिषद से मुद्रित अंकतालिका प्राप्ति की दिनांक से की जायेगी)	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
18	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
19	प्रमाण-पत्रों में विशेष संशोधन (यथा स्वयं के नाम में सुधार, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण विषय आदि)	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. ग्रामीण निर्माण विभाग:-

क्र0स0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	क- अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढ़वाल सम्भाग हेतु। ख- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ सम्भाग हेतु।	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	क- अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढ़वाल सम्भाग हेतु। ख- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ सम्भाग हेतु।	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
5	सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	03 माह	1-परिमण्डल देहरादून एवं पौड़ी हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) 2-परिमण्डल नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
6	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	03 माह	1-परिमण्डल देहरादून एवं पौड़ी हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) 2-परिमण्डल नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
7	सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	03 माह	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
8	भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण/पंजीकरण	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	03 माह	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3. उच्च शिक्षा विभाग:-

क्र०स०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	अनंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना (सेमेस्टरवार/वर्षवार)	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	अंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	अंक-पत्र त्रुटि सुधार	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	सम्बन्धित प्राचार्य	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

4. बेसिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	अंक-तालिका उपलब्ध कराना	प्रधानाध्यापक	परीक्षाफल घोषित होने /अंक तालिका तैयार होने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	अंक-पत्र त्रुटि सुधार	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	अंक-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

5. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव उपरांत रु० 1400/- की प्रोत्साहन धनराशि एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रु० 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।	चिकित्सा अधिकारी संबंधित चिकित्सा इकाई	Normal/ C Section प्रसव के बाद 15 दिन के भीतर (सशर्त लाभार्थियों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि हेतु संबंधित दस्तावेज जमा किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी क्षय रोगियों को रु० 500/- प्रतिमाह DBT के माध्यम से पोषाहार भत्ता प्रदान किया जाता है।	जिला क्षय अधिकारी	प्रत्येक माह की 07 तारीख तक (सशर्त लाभार्थी द्वारा DBT हेतु सम्बन्धित दस्तावेज जमा किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	विभागीय सिविल कार्यों हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण	निदेशक (नियोजन)	90 दिन	महानिदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	विभागीय विद्युतीय कार्यों हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण	निदेशक (नियोजन)	90 दिन	महानिदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

6. खेल विभाग:-

क्र०स०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार/हिमालय खेल पुरस्कार/प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार	निदेशक	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 60 दिवसों के भीतर	सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7. वित्त विभाग:-

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	पेंशनभोगी के अनुरोध पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन हस्तान्तरण (क) एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक भुगतान शाखा से उसी स्थान अथवा उसी जिले की दूसरी शाखा में हस्तांतरण। (ख) जनपद स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी एक बैंक से अन्य किसी दूसरे बैंक में पेंशन हस्तांतरण।	सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	07 कार्य दिवस	कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	पेंशनभोगी के स्वयं के अनुरोध पर पेंशन हस्तांतरण। (क) जनपद कोषागार / उप कोषागार के उसी जनपद के अन्तर्गत अन्य किसी कोषागार / उप कोषागार में पेंशन स्थानान्तरित किया जाना (ख) जनपद स्थित कोषागार / उपकोषागार के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेशों को अन्य जनपद स्थित कोषागार / उप कोषागार में स्थानान्तरित किया जाना। (ग) राज्य से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी की पेंशन अन्य राज्य को हस्तांतरण हेतु पेंशन भुगतान आदेशों को महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना।	सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी कोषाधिकारी	07 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस	कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	मृतक पेंशनभोगी द्वारा वैध नामांकन न किये जाने की दशा में उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को पेंशन भोगी के जीवन कालीन अवशेष पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाना।	कोषाधिकारी	15 कार्य दिवस	वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	पी0पी0ओ0 की डुप्लीकेट प्रति जारी किया जाना।	निदेशालय / शिविर कार्यालय हल्द्वानी के स्तर पर पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी सदर कोषागार स्तर पर सक्षम प्राधिकारी / कोषाधिकारी	03 कार्य दिवस	निदेशालय एवं शिविर कार्यालय हल्द्वानी के स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक सदर कोषागार स्तर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

8. मत्स्य विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुदान-28	सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी	आवेदन स्वीकृत होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुदान-30	सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी	आवेदन स्वीकृत होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुदान-31	सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी	आवेदन स्वीकृत होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

9. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	प्राथमिक/माध्यमिक संस्थानों को मदरसा की मान्यता का नवीनीकरण (Application for Renewal of Recognition of Madrasa for Primary/Secondary Institutes)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	90 दिन	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	उच्च माध्यमिक संस्थानों को मदरसा की मान्यता का नवीनीकरण (Application for Renewal of Recognition of Madrasa for Higher Secondary Institutes)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	90 दिन	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	स्नातक/स्नातकोत्तर संस्थानों को मदरसों की मान्यता का नवीनीकरण (Application for Renewal of Recognition of Madrasa for Graduation/Post Graduation Institutes)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	90 दिन	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10. ऊर्जा विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	Approval of drawing, map, plan and sections as per sec. 53(f) of The Electricity Act, 2003 under regulation 34 (Generating set)	उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	15 दिन	निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (upto 250 KVA)	सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	30 दिन	उप विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (Above 250 KVA but not more than 2500 KVA)	उप विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	30 दिन	उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (Above 2500 KVA)	उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	30 दिन	निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

11. माध्यमिक शिक्षा विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	छात्रावास निर्माण की स्वीकृति	उप राज्य परियोजना निदेशक, निर्माण कार्य, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।	भारत सरकार की आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने के 15 दिन।	अपर राज्य परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

12. वन विभाग:-

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	Letter of Distance from Forest	उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	आवदेन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 10 दिवस में	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

नितिका खंडेलवाल,
अपर सचिव।

पशुपालन अनुभाग-01

कार्यालय ज्ञाप

25 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या-1820 / XV-I / 20 / 2(03) / 2006 / 38678-एतद्वारा शासनादेश संख्या-169 / XV-I / 2(3) / 2006, दिनांक 09 जनवरी, 2007 द्वारा निर्धारित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की नियमावली (Memorandum of Association) के बिन्दु संख्या-12.15 से बिन्दु संख्या-12.20 के अनुरूप अग्रिम आदेशों तक निम्न वर्गों में 22 गैरसरकारी सदस्यों को उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में मनोनीत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

बिन्दु संख्या 12.15 के अन्तर्गत 02 मा० विधायकगण (मनोनीत)	
1	श्री सुरेश चौहान, मा० विधायक, विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री (उत्तरकाशी)
2	डॉ० प्रमोद नैनवाल, मा० विधायक, विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत (अल्मोड़ा)
बिन्दु संख्या 12.16 के अन्तर्गत पशुकल्याण के क्षेत्र में कार्यरत 05 व्यक्ति (मनोनीत)	
1	श्री कुनाल ग्रोवर, विग नं० 0511/7, प्रेमनगर, देहरादून।
2	श्री लक्ष्मण सिंह कडाकोटी, ग्राम पोस्ट तोल्यो (तल्ला सल्ट) जनपद अल्मोड़ा।
3	श्री गणेश चन्द्र जोशी, मूनाकोट, पिथौरागढ़।
4	श्री प्रयाग दत्त जुयाल।
5	श्री भगवती प्रसाद केष्टवाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
बिन्दु संख्या 12.17 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त प्रशासनिक/न्यायिक सेवाओं के 02 अधिकारी (मनोनीत)	
1	श्री राजीव गुप्ता, आई०ए०एस०
2	श्री सुन्दर लाल मुयाल, आई०ए०एस० 28/2 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
बिन्दु संख्या 12.18 के अन्तर्गत 10 गोशाला प्रतिनिधि (मनोनीत)	
1	श्री दयाकृष्ण काण्डपाल, गोसेवा न्यास गुरुकुल, ग्राम ज्योली तोक शोले जनपद अल्मोड़ा।
2	श्री नारद जोशी, गोलोक धाम, ग्राम कनकपुर, रुद्रपुर, तहसील किच्छा, ऊधमसिंहनगर।

3	श्री ओम प्रकाश जोशी, गर्ग ऋषि गोसेवा समिति, ग्राम किमाड़, पो0 रीठाखाल, विकासखण्ड पाटी, चम्पावत।
4	श्री गोपाल दत्त काण्डपाल, श्री नन्दगोपाल कृष्णा गोशाला न्यास मनकोट, पो0 उरेडा तहसील एवं जनपद बागेश्वर।
5	श्री गिरजा शंकर उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन, गो-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।
6	श्री रामकिशोर दास, अखिल भारतीय श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम हिटारा बड़ेती, चिन्यालीसौण।
7	श्री शीतल सिधंल, श्री कृष्ण प्रणामी महाराज अग्रसेन गोशाला ट्रस्ट सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।
8	श्री रोहित डिमरी पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद डिमरी गौ रक्षा विभाग ट्रस्ट, रुद्रप्रयाग।
9	श्री सुमित ममगाई, सदानन्द गोरक्षा सेवा ट्रस्ट ग्राम जखोला, पो0 थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।
10	स्वामी ईश्वरदास जी, श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गौलोक धाम सेवा समिति, डा0 गंगा चन्दोला, श्री भागीरथी धाम आश्रम, नर्मदा विहार, ग्राम पो0 हरिपुर कला द्वारा रायवाला, देहरादून।
बिन्दु संख्या 12.19 के अन्तर्गत 01 जिला पंचायत अध्यक्ष (मनोनीत)	
1	श्रीमती पूनम कटैत, अध्यक्ष, जिला पंचायत-रुद्रप्रयाग।
बिन्दु संख्या 12.20 के अन्तर्गत एस०पी०सी०ए० में कार्यरत 02 व्यक्ति (मनोनीत)	
1	सुश्री निहारिका कपूर, 66 किशन नगर, जिला एस०पी०पी०ए० देहरादून।
2	कु० अनीता जोशी, मालरोड़ जिला एस०पी०पी०ए० नैनीताल।

आज्ञा से,
सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2025 ई०

संख्या 152/नि०अनु०—भू०उप०परि०/बी—012/2025—आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना—2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 02.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ०)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना—2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

क्र०सं०	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू—उपयोग	भू—उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून	754, 766, 767, 774	9629.00 वर्गमीटर	कृषि	आवासीय

अधिसूचना

09 जुलाई, 2025 ई0

संख्या 716/नि0अनु0-भू0उप0परि0/बी-015/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 02.11.2024 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 03.11.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्र0सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून	755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 764, 765	9750.00 वर्गमीटर	कृषि	आवासीय

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या 2200/नि0अनु0-भू0उप0परि0/बी-016/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान में दिनांक 03.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्र0सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून	751, 752, 753, 762, 763	8500.00 वर्गमीटर	कृषि	आवासीय

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/422-भाग 1-क-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात अपना नाम अनुज चौहान पुत्र श्री हरपाल सिंह से बदलकर स्वामी अनुज दास शिष्य स्वामी सत्येन्द्र प्रकाश कर लिया है। जो मेरे मतदाता पहचान पत्र सं० IZU1360387 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे स्वामी अनुज दास शिष्य स्वामी सत्येन्द्र प्रकाश के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

स्वामी अनुज दास शिष्य स्वामी सत्येन्द्र प्रकाश
निवासी—श्री बलजीत साधना केन्द्र, रानी गली
भूपतवाला कला, शिवनगर, पो०ओ० साधूबेला,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी, पुत्री के आधार कार्ड नं0 905874079085 में त्रुटिवश उसका नाम—जानवी रावत (JANVI RAWAT) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम—जानवी रावत (JANVI RAWAT) से बदलकर दिव्यांशी रावत (DIVYANSHI RAWAT) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र पंजीकरण सं0—20110506258 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को दिव्यांशी रावत (DIVYANSHI RAWAT) D/O VINOD SINGH RAWAT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

VINOD SINGH RAWAT

निवासी— म0नं0 136, ब्लॉक—1,

चुक्कुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 617663468023 में उसका नाम काजोल (KAJOL) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम काजोल (KAJOL) से बदलकर काव्या खाती (KAVYA KHATI) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र पंजीकरण सं. B-2018: 5-90293-000651 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को काव्या खाती (KAVYA KHATI) पुत्री श्री हर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हर सिंह

निवासी—मेहल खंड अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे सभी शैक्षिक प्रमाण—पत्रों व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम नूरो (Nooro) पुत्री श्री नाथू राम दर्ज है। लेकिन मेरे आधार कार्ड नं0 5491—7551—7074 में त्रुटिवश मेरा नाम नूरो (Nooro) के स्थान पर नुरो (Nuro) गलत दर्ज हो गया है। जोकि गलत है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम नूरो (Nooro) से बदलकर नव्या (Navya) कर लिया है। भविष्य में मुझे नव्या (Navya) पुत्री श्री नाथू राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नूरो (Nooro) (मौजूदा पुराना नाम)

पुत्री श्री नाथू राम

निवासी—उभरेऊ, कोटी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

I, Mansi Rawat, D/o Digambar Singh Rawat, hereby state that my father's name is wrongly mentioned as Digamber Singh Rawat in my class 10th and 12th marksheets (Roll No. 5310097 and 25609910). The Correct name is Digambar Singh Rawat. Henceforth, he should be known as Digambar Singh Rawat in all future records.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Mansi Rawat, D/o Digambar Singh Rawat
Address Lane-6, Ekta Vihar, Sahastradhara Road
Kulhan Mansingh, Kandoli, Dehradun, Uttarakhand.

सूचना

मेरे शेयर प्रमाणपत्र (Folio No. 0106192) में जो कि मेसर्स पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है, मेरा नाम गलतीवश अंजुल मेहता दर्ज किया गया है। जबकि मेरा वास्तविक और वैध नाम अंजुल उर्फ राजन मेहता (ANJUL URF RAJAN MEHTA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड संख्या 7549, 8376 3373 और पैन कार्ड संख्या AMVPM2724J में भी ठीक प्रकार से दर्ज है। अतः मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि भविष्य में मुझे अंजुल उर्फ राजन मेहता (ANJUL URF RAJAN MEHTA) पुत्र गंगाशरण मेहता, निवासी एम-29, हरिलोक कॉलोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार-249407, उत्तराखण्ड के रूप में ही जाना और संबोधित किया जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंजुल उर्फ राजन मेहता
(ANJUL URF RAJAN MEHTA)
पुत्र गंगाशरण मेहता,
निवासी एम-29, हरिलोक कॉलोनी,
ज्वालापुर, हरिद्वार-249407, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पति स्व0 गबर सिंह भंडारी के उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम कुसुमा देवी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम कुसुमा देवी (Kusma Devi) है। जो मेरे आधारकार्ड नंबर 964364499311 एवं पैनकार्ड नंबर GFNPDP3320A व स्थायी निवास प्रमाणपत्र में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कुसुमा देवी पत्नी स्व0 गबर सिंह भंडारी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कुसुमा देवी पत्नी स्व0 गबर सिंह भंडारी
निवासी लालपानी, कुंभीचौड़, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

सूचना

In my share certificate of M/s. Reliance Industries Limited Folio No. 084386570, Folio No. 128342535 & Demat ID IN301774 Client ID 19009569 with Religare Securities Limited, My name is wrongly registered as Anju Tyagi W/o Sanjeev Tyagi. Although my actual and legal name is Anjola Devi. That is also mentioned in my High School Marksheet- 1976, Serial No. 45190, Aadhar No. 355348982544 and PAN No. ANZPT9987F. In future I should be known and addressed by the name Anjola Devi D/o Molhar Singh Tyagi & W/o Sanjeev Tyagi.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Anjola Devi D/o Molhar Singh Tyagi
W/o Sanjeev Tyagi
Resident of Chowk Bazar, Sarwgyan,
Manglour, Haridwar, UK-247656.

सूचना

IN MY SHARE CERTIFICATE of M/s. DESH RAKSHAK AUSH DHALAYA LTD Folio no. 5488. M/s PICCADILY SUGAR AND ALLIED INDUSTRIES LTD. Folio no. 135829 & 135841. M/s PASUPATI ACRYLON LTD. Folio no. 18120. M/s JINDAL VIJAYNAGAR STEEL LTD Folio no JVS0884164 MY NAME IS WRONGLY REGISTERED AS YOGESH GUPTA. IN SHARE CERTIFICATE of M/s JSW STEEL LTD. Folio no. JSW0078207, MY NAME IS WRONGLY REGISTERED AS T GUPTA ALTHOUGH MY ACTUAL AND LEGAL NAME IS YOGESH JI RAJE, THAT ALSO MENTIONED IN MY HIGH SCHOOL MARKSHEET-1978 SERIAL NO. 545977 and in AADHAR NO. 2490 2512 4743 and PAN NO ACQPR3098F In future, I should be known and addressed by the name YOGESH JI RAJE S/o Late SURESH CHANDRA RAJE.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

YOGESH JI RAJE
S/o Late SURESH CHANDRA RAJE
Resident of T-96, Shivalik Nagar BHEL,
Haridwar 249403, Uttarakhand.

सूचना

मैं श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल निवासी 28/131 गोविन्द बल्लभ पन्त मार्ग, तिकोनिया हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड। मेरा नाम शेयर GANESH ECO SPERE LIMITED FORMALLY KNOWN AS GANESH PLOYTEX LIMITED, FOLOI NO 33600 AND (2) ARUN HOTELS LIMITED FORMALLY KNOWN AS ARUNA SUGER AND ENTERPRISES LTD REGESTER FOLIO NO. 29147/29417 है। उक्त शेयरों में नाम मधु रानी दर्ज है। मधु रानी एवं मधु अग्रवाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। भविष्य में मुझे दोनों नामों से जाना पहचाना व पढ़ा-लिखा जाये। DEMAT ID NO. 10020538 है। जोकि मधु अग्रवाल के नाम से है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल
निवासी 28/131 गोविन्द बल्लभ पन्त मार्ग, तिकोनिया
हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आर्मी रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम SURESH SINGH BOHARA गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम SURESH SINGH BOHRA है। जो मेरे आधार कार्ड नं०-991368633086 व पेन कार्ड नं०-ADBPB6655J में भी दर्ज हैं। भविष्य में मुझे SURESH SINGH BOHRA S/O ISHWAR SINGH BOHRA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SURESH SINGH BOHRA ARMY NO. 13742661

निवासी-ग्राम-जोहड़ी, अनारवाला देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 476238720371 में उसका नाम जयंत अग्निहोत्री (Jayant Agnihotri) दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम जयंत अग्निहोत्री (Jayant Agnihotri) से बदलकर अद्विक अग्निहोत्री (Advik Agnihotri) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B-2018:9-90374-015643 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अद्विक अग्निहोत्री (Advik Agnihotri) S/o Prasun Kumar Agnihotri के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Prasun Kumar Agnihotri

स्थायी पता- नौली औरैया उत्तर प्रदेश एवं हॉल
पता- ए119, सी.आई.एस.एफ. काम्पलेक्स शिवालिक
नगर बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उत्तराखण्ड।

INFORMATION/INTIMATION FOR GAZETTE PUBLICATION

It is for general information that I, **Queenie Dorothy Gideon**, W/o Mr. Nirmal David Gideon, Residing at Johari Gaon, Sinaola, Dehradun, Uttarakhand, 248003 declare that the name of mine has been wrongly mentioned as "**Queenie Gideon**" in the **share certificate no. 954732**, Distinctive No. 0000692937 - 0000694772 and **Share Certificate No. 954733** and Distinctive No. 4278437997 - 4278439832, both certificates having **Folio No. ONG0026446**, issued by the Oil and Natural Gas Corporation of India. The actual and legal name of mine is "**Queenie Dorothy Gideon**" which has been mentioned in my **Aadhar No. 5418 7530 1553** and **PAN AJZPD2431J**, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Queenie Dorothy Gideon
W/o Mr. Nirmal David Gideon,
R/o Johari Gaon, Sinaola,
Dehradun, Uttarakhand, 248003.

सूचना

मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी सं. 273015819 में मेरा घरेलू नाम Bishu गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रियॉशु (Priyanshu) है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 21018822 व आधार कार्ड नं. 818636503804 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे प्रियॉशु (Priyanshu) पुत्र श्री सतीश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रियॉशु (Priyanshu) पुत्र श्री सतीश कुमार
निवासी—भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं राजेन्द्र लाल पुत्र श्री राम लाल टमटा निवासी ग्राम जवाडी आगर पो. आगर तहसील एवं जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड वाला एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि—मेरे आधारकार्ड नं. 8467 0307 2829 में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश कुमार (RAJESH KUMAR) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम राजेन्द्र लाल (RAJENDRA LAL) है। जो मेरी पुत्री आरुषी के हाईस्कूल अनुक्रमांक 24032585 व मेरी पत्नी पिकी देवी के आधारकार्ड नं. 9563 2550 7913 में व पहचान पत्र में भी दर्ज है भविष्य में मुझे राजेन्द्र लाल (RAJENDRA LAL) पुत्र राम लाल टमटा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजेन्द्र लाल (RAJENDRA LAL)
पुत्र राम लाल टमटा
निवासी ग्राम जवाडी आगर पो. आगर
तहसील एवं जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।